

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 164/2011/उदयपुर

मैसर्स विष्णु एजेन्सीज

16, न्यू सर्राफा बाजार, उदयपुर

अपीलीर्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी

वृत्त-ए, उदयपुर

प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित:

श्री अभिषेक अजमेरा

अभिभाषक

श्री डी.पी.ओझा

उप राजकीय अभिभाषक

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 30.11.2016

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 159/वैट/09-10 में पारित आदेश दिनांक 10.11.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-अ, उदयपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 33 व 55 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 05.10.2009 के द्वारा सृजित मांग रु. 2,31,257/-को यथावत रखा गया है।


प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी के पास वर्ष 2005-06 का अन्तिम पोते फुटवियर का स्टाक रु. 25,07,001/-का था, जिस पर अपीलार्थी द्वारा एम.आर.पी. के तहत 9 प्रतिशत कर चुकाया था, जबकि अपीलार्थी द्वारा इस पोते माल पर मांगे गये आगत कर को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जांच करके स्वीकार किया गया था। किन्तु बाद में जानकारी में आया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 12.50 प्रतिशत की दर से आगत कर स्वीकार किया गया है जबकि अपीलार्थी द्वारा एम आर पी पर 9 प्रतिशत की दर से चुकाया गया है। अतः अधिक आगत कर स्वीकार किये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत संशोधन आदेश पारित कर अधिक चुकाये गये आगत कर व उस पर ब्याज आरोपित किया है, जिसको अपीलीय अधिकारी के समक्ष चुनौती देने पर उन्होंने अपीलार्थी की अपील अस्वीकार कर कर निर्धारण आदेश की पुष्टि की है, जिससे क्षुब्ध होकर अपीलार्थी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी के पास

वर्ष 2005-06 का अन्तिम पोते फुटवियर का स्टाक रू. 25,07,001/-का था,जिस पर अपीलार्थी द्वारा एम.आर.पी. के तहत 9 प्रतिशत कर चुकाया था, जबकि अपीलार्थी द्वारा इस पोते माल पर मांगे गये आगत कर को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जांच करके स्वीकार किया गया था। उना कथन है कि बाद कर निर्धारण अधिकारी द्वारा संशोधन आदेश पारित कर उसे अस्वीकार किया गया है, जो अविधिक है। उनका यह भी कथन है कि अधिनियम की धारा 19 केक अनुसार कम रिपिल्ड एक्ट की तुलना में कम कर को ही मांगा गया था, अतः उसे स्वीकार किया जाये। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत स्वीकार करने का निवेदन किय।

अप्रार्थी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी के पास वर्ष 2005-06 का अन्तिम पोते फुटवियर का स्टाक रू. 25,07,001/-का था,जिस पर अपीलार्थी द्वारा एम.आर.पी. के तहत 9 प्रतिशत कर चुकाया था, जबकि अपीलार्थी द्वारा इस पोते माल पर मांगे गये आगत कर को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जांच करके स्वीकार किया गया था। उन्होंने बताया कि बाद में जानकारी में आया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 12.50 प्रतिशत की दर से आगत कर का स्वीकार किया गया है जबकि अपीलार्थी द्वारा एम आर पी पर 9 प्रतिशत की दर से चुकाया गया है। अतः अधिक आगत कर अधिक स्वीकार किये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत संशोधन आदेश पारित कर अधिक चुकाये गये आगत कर व उस पर ब्याज आरोपित किया है, जो पूर्णतः उचित है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने विधिक प्रावधानों के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की पुष्टि की है,जो पूर्णतः उचित है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों के अनुसार अपीलार्थी के पास वर्ष 2005-06 का अन्तिम पोते फुटवियर का स्टाक रू. 25,07,001/-का था,जिस पर अपीलार्थी द्वारा एम.आर.पी. के तहत 9 प्रतिशत कर चुकाया था, जबकि अपीलार्थी द्वारा इस पोते माल पर मांगे गये आगत कर को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जांच करके स्वीकार किया गया था। किन्तु बाद में जानकारी में आया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 12.50 प्रतिशत की दर से आगत कर का स्वीकार किया गया है जबकि अपीलार्थी द्वारा एम आर पी पर 9 प्रतिशत की दर से चुकाया गया है। अतः अधिक आगत कर स्वीकार किये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत संशोधन आदेश पारित कर अधिक चुकाये गये आगत कर व उस पर ब्याज आरोपित किया है।




उक्त बिन्दु के निणय हेतु अधिनियम की धारा 19 को उद्धरित किया जाना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :-

Input tax credit shall be allowed on the goods other than capital goods, which had suffered tax under the repealed Act, and are lying in stock of the dealer on the date of commencement of this Act, provided that such dealer has submitted the details of such stock, as required by the Commissioner under section 93 of the repealed Act or section 91 of this Act, and such goods in stock are used for the purposes specified in clauses (a) to (f) of sub section (1) of section 18. However, the input tax credit under this section shall be allowed to the extent of the tax paid under the repealed Act or the amount of tax payable on such goods under this Act, whichever is less.

उक्त धारा के पठन से स्पष्ट है कि पोते माल पर आगत कर वही देय है, जो रिपिल्ड एक्ट और वैक्ट, जिसमें भी कम हो। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत 12.5 प्रतिशत की दर से आगत कर स्वीकार किया गया है जबकि अपीलार्थी द्वारा एम आर पी पर 9 प्रतिशत की दर से कर चुकाया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिक आगत कर भुगतान किया गया है इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिक भुगतान किये गये आगत कर व उस पर ब्याज आरोपि करते हुए मांग सृजित की है, जो पूर्णतः विधिक एवं उचित है। इन्हीं तथ्यों की विवेचना करते हुए अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण आदेश की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की थी, जो पूर्णतः उचित एवं विधिक होने से अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश की पुष्टि की जाकर प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया ।


(सुनील शर्मा)
सदस्य